रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082020-221284
CG-DL-E-21082020-221284

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942
No. 335] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SHRAVANA 30, 1942

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2020

BCI:D 1898/2020.—पष्ठभूमि.–विधिज्ञ परिषदों में समूहवाद (गुटबाजी) में वृद्वि के कारण, कई अवसरों पर इस परिषद को शिकायतें मिलती रही हैं और कई बार बहुत ही विषम स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ राज्यों के अव्यवहारिक नियम के कारण, कुछ राज्य विधिज्ञ परिषद् में स्थिति अवांछित समूहवाद की ओर ले जाती है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य विधिज्ञ परिषदों में अस्वस्थ माहौल और अक्षम कार्य होता है। केवल हाल के दिनों में, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने पाया है कि ओडिया में, कुछ क्षुद्र मुद्दों के कारण लगभग 2 महीने तक अधिवक्ताओं द्वारा अदालत के कामों से दूर रहे। राज्य विधिज्ञ परिषद् में समूह की राजनीति का परिणाम था, हमें एक राज्य विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष के साथ धक्कामुक्की की शिकायते मिली हैं और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया।

राज्य विधिज्ञ परिषद् और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पिछले चुनावों के दौरान कुछ ईमानदार सदस्यों और पदाधिकारियों के हटाने के लिए भ्रष्ट्र आचरण की रिपोर्टे (जो राज्य विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्य के अनुचित दबाव में नही आये) भी देखा गया है।

कुछ सदस्यों द्वारा भयादोहन का सहारा लेने की कोशिश की खबरें है। अगर भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्य कुछ स्वार्थी/लालची गैरकानूनी मामलों के आगे नही झुकते है। इन कारणों के कारण राज्य विधिज्ञ परिषदों में से कुछ में अविश्वास प्रस्ताव का अनुचित और दुर्भावनापूर्ण डर विधिज्ञ परिषद् के पदाधिकारियों को बार बार बदल दिया गया था और उन्हें अपने कार्यकाल (विधिज्ञ परिषद् के नियमों के अनुसार) को पूरा किये बिना ही इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया।

तमिलनाडु के अधिवक्ताओं ने यहां तक सूचित किया कि चुनावों में पदाधिकारियों/सदस्यों के चयन में या उन्हे पद से मुक्त करने में अश्व व्यापार (पैसों के लेनदेन के दमपर सौदा किया जाता) की बड़े पैमाने पर परंपरा है।

इस परिषद ने इसलिए, विधिज्ञ परिषद् और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के निष्पक्ष, सुचारू और निरर्भीग कामकाज के लिए इस संबंध में इस समान अनिवार्य नियमों को लागू करना उचित समझा।

ये नियम भारतीय विधिज्ञ परिषद् और सभी राज्य विधिज्ञ परिषद् के लिए अनिवार्य हैं। जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7 निहित है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् अपने सदस्यों के चुनाव के लिए यदि इन नियमों के तहत आवश्यकता होने पर अपने सदस्यों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर अपने सदस्यों को हटाने के लिए नियमों को बनाने का एकमात्र अधिकारी है। माननीय सदस्यों ने सभी राज्य विधिज्ञ परिषद् में एकरूपता प्रदान करने वाले नियमों को लागू करने की आवश्यकता महसूस की है, क्योकि उनके पदाधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में पूरी तरह से विचार करने के बाद, विधिज्ञ परिषद् सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों के लिए अपने पदाधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के संबंध में निम्मनिखित प्रस्ताव पारित कर रही हैं।

इन दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य है और यदि किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् को इन नियमों/संकल्पों के अनुपालन में यदि आवश्यकता हों तो उनके नियमों में संशोधन करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

अध्याय-**I-A** (भाग-**II**)

संकल्प :–

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पदाधिकारियों, भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों और राज्य विधिज्ञ परिषद् के पदाधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नियम :–

किसी भी पदाधिकारी या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भारतीय विधिज्ञ परिषद् के 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव द्वारा लाया जा सकता है।

यदि प्रस्तावित प्रस्ताव को अध्यक्ष के खिलाफ लाया जाना है तो परिषद के उपाध्यक्ष को संबोधित किया जाएगा और अन्य सभी मामलों में यह प्रस्ताव अध्यक्ष को संबोधित किया जाएगा। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष (जैसा भी मामला हो) आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर सामान्य परिषद की बैठक को बुलाने की सूचना देगा।

कार्यालय में इसकी प्राप्ति की तारीख से दो दिनों की अवधि के भीतर सचिव, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के सामने नोटिस भेज सकता है।

अविश्वास प्रस्ताव को केवल पदाधिकारियों या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्य के विरूद साबित किये गये कदाचार के आधार पर ही लाया जा सकता है।

किसी भी पदाधिकारी या सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, यदि वह नैतिक अपराध के संबंध में अपराध का दोषी पाया जाता है और उसे दोषी ठहराया जाता है और/या दो वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है या यदि कदाचार के मामलें में किसी सदस्य को किसी भी विधिज्ञ परिषद् के द्वारा दोषी पाया गया है। किसी भी अपराधिक सजा या सजा के मामले में, राज्य विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों में से 3/4 सदस्य, भारतीय विधिज्ञ परिषद् में अपने सदस्य प्रतिनिधि के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए कार्यवाही की सिफारिश कर सकते हैं। भारतीय विधिज्ञ परिषद्, राज्य विधिज्ञ परिषद् की ऐसी सिफारिश की विचार करेगी, संबंधी सदस्य भारतीय विधिज्ञ परिषद् सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद आवश्यक प्रस्ताव पारित करेगा।

हालांकि किसी भी स्थिति में भारतीय विधिज्ञ परिषद् में अपने सदस्य प्रतिनिधि के खिलाफ राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा और नाही पारित किया जा सकेगा।

किसी सदस्य भारतीय विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए अपेक्षित, अगर भारतीय विधिज्ञ परिषद् सदस्यों के द्वारा लाया जाना है, तो इसे कम से कम 2/3 परिषद के सदस्यों के हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी और इसमें भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कम से कम एक पदेन सदस्य शामिल होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है (इसके लिए बुलाई गई बैठक मे) परिषद के उपस्थित कम से कम 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान होना चाहिए।

कम से कम 30 दिनों की पूर्व सूचना संबंधित पदाधिकारियों या सदस्य, भारतीय विधिज्ञ परिषद् को देनी होगी, जिसके विरूद्व ऐसा कोई ''अविश्वास प्रस्ताव' को स्थानांरित करने का प्रस्ताव है।

किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद् के किसी पदाधिकारी (जहॉ कोइ अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई नियम नहीं है) के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव पास करने के अपेक्षित लाने के लिए, कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने की आवश्यकता होगी। राज्य विधिज्ञ परिषद् को यह केवल परिषद् के कम से कम 3/4 सदस्यों द्वारा पारित किया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर सकता है। पदाधिकारी का अर्थ केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा।

अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक सभी मामलों मे, उन कारणों और आधार को शामिल करना और निर्दिष्ट करना आवश्यक होगा जिनके आधार पर प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना है। कारण और आधार

अस्पष्ट और निरर्थक और यह व्यक्तिगत प्रतिशोध पर आधारित नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव के लिए आधार का समर्थन करने वाली दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित होने की आवश्यकता होगी किसी भी अंतिम प्रस्ताव को पारित करने और/या अंतिम निणय लेने से पहले परिषद को अपने निर्णय के कारणों के बताना आवश्यक होगा।

यदि पहली बैठक में, भारतीय विधिज्ञ परिषद् को प्रस्ताव के पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला लगता है, तो सही मायने में जांच और संबंध की जांच करेगा;

भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पूर्व माननीय न्यायाधिश द्वारा जांच आयोजित कि जाएगी। जांच समिति के माननीय न्यायाधिश द्वारा पदाधिकारी या सदस्य को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित है।

एक सदस्य जांच समिति के रिपोर्ट परिषद के सामान्य सभा के समक्ष रखी जाएगी और परिषद रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आवश्यक संकल्प लेगी।

अविश्वास प्रस्ताव, एक बार असफल हो जाने पर, उसी पदाधिकारी/सदस्य भारतीय विधिज्ञ परिषद् के खिलाफ अगले 12 महीनों तक नही लाया जा सकता है। यह नियम भारतीय विधिज्ञ परिषद् और सभी राज्य विधिज्ञ परिषद् पर लागू होगा। हालांकि, अपने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, कोई भी राज्य विधिज्ञ परिषद् भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पूर्व स्वीकृति के साथ अपना नियम बना सकती हैं। हालांकि, सभी राज्य विधिज्ञ परिषद् को इन नियमों में निर्धारित मुख्य सिद्वांत का पालन करना आवश्यक होगा।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् या राज्य विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों के विरूध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सभी पिछले संकल्प निरस्त हो जायेगा और या इस अनुसार संशोधन किया गया।

नलिन राज चतुर्बेदी, सह–सचिव

[विज्ञापन -III/4/असा./197/2020–21]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2020

BCI:D 1898/2020.—BACKGROUND:—Due to increased groupism in the Bar Councils, on many occasions this Council has been receiving complaints and a very anomalous situation arises some times. Because of some impractical rule of some states, the situation in some of the State Bar Council leads to unwanted groupism, resulting in unhealthy atmosphere and inefficient functioning of the State Bar Councils. Only in the recent past, Bar Council of India has found that in Odisha, there was abstention from Court work by Advocates for about 2 months due to some petty issue. This was the result of group politics in State Bar Council. We have received the complaints of manhandling of Chairman of one State Bar Council and he was compelled to resign. During last elections of State Bar Councils and Bar Council of India, the reports of corrupt practices for removal of some honest members and office-bearers (who did not succumb to undue pressure of members of State Bar Councils or member of Bar Council of India), has also been noticed. There are reports of attempt to resort to blackmailing also by some Members if the Office-Bearers or Members of Bar Council of India do not succumb to some selfish/greedy illegal demands of Members of State Bar Councils. Due to these reasons, in some of the State Bar Councils, the Office-Bearers were changed frequently and they were compelled to resign without completing their tenure *(as per the Rules of Bar Councils)* only on account of unwarranted and malicious fear of "No-Confidence Motions". The Advocates of Tamil Nadu have even reported a tradition of large scale horse-trading in the elections and removal of the office-bearers/members.

This Council, therefore, deemed it proper to frame uniform mandatory Rules in this regard for the fair, smooth and fearless functioning of Bar Councils and Bar Council of India. These Rules are mandatory for Bar Council of India and all the State Bar Councils.

Bar Council of India is to provide for the elections of its members, as contained in Section-7 of the Advocates' Act, 1961. Therefore, it has the sole authority to frame rules for removal of its members by bringing "No-Confidence Motion" against its Members, if required under these rules.

The Hon'ble Members have felt the need to frame a rule providing for uniformity in all the State Bar Councils as regards passing of No Confidence Motion against their office bearers. After thorough consideration, the Council is passing the following resolution for all the State Bar Councils with respect to

passing of a No-Confidence Motion against their office bearers. These guidelines are mandatory in nature and the State Bar Councils are directed to follow and if required, amend their Rules in compliance of these Rules/Resolution.

CHAPTER-I-A (PART-II)

RESOLUTION: -

Rules for "No Confidence" against the Office Bearers of the Bar Council of India, the Members of the Bar Council of India and the Officer Bearers of the State Bar Councils.

The Motion of No Confidence against any office-bearer or member of Bar Council of India can be brought by a requisition submitted by 2/3rd Members of the Bar Council of India. If the proposed motion is to be brought against the Chairman, the same will be addressed to the Vice-Chairman of the Council and in all other cases, it will be addressed to the Chairman. The Chairman or Vice-Chairman (as the case may be) shall notify the meeting of the General Council within a period of 30 days from the date of receipt of the application. The Secretary shall place the notice before the Chairman or the Vice-Chairman, as the case may be, within a period of two days from the date of receipt of this in the office.

The motion of no confidence can be brought only on the ground of some proved misconduct of the office bearers or the Member of the Bar Council of India.

The No Confidence Motion can also be brought against any Office Bearer or the Member, if he is found guilty of an offence concerning Moral turpitude and is convicted and/or sentenced to undergo imprisonment for any period. Or if any member has been found to be guilty of any Disciplinary Proceeding by Bar Council.

In case of any conviction or sentence, 3/4 of the Members of the State Bar council can also recommend to Bar Council of India a proceeding for "No-Confidence Motion" against their Member-Representative in Bar Council of India. The Bar Council of India shall consider such recommendation of State Bar Council, and after giving the concerned Member, Bar Council of India, an opportunity of hearing, will pass necessary resolution. However, No Confidence Motion cannot be brought or passed by the State Bar Council against its Member-Representative in Bar Council of India in any event.

The requisition for No Confidence Motion against a Member, Bar Council of India or an Office Bearer of the Bar Council of India if required to be brought by Members of Bar Council of India, then it shall be required to be signed by at least 2/3rd Members of the Council and it must include at least one Ex-Office Member of the Bar Council of India. The "No Confidence Motion" can be passed (in a meeting convened for this) by a minimum of 3/4th Members of the Council present and voting in favour of the motion.

A prior Notice of at least 30 days shall be required to be given to the concerned office bearers or the Member, Bar Council of India against whom such No Confidence Motion is proposed to be moved.

For bringing of requisition for passing a "No Confidence Motion" against any Office-Bearers of any State Bar council (where there is no Rule for No Confidence Motion), the requisition shall be required to be signed by at least 2/3rd Members of the State Bar Council and it could be passed only by at least 3/4th Members of the Council present and voting in favour of the No Confidence Motion. Office-bearers means Chairman and Vice-Chairman only.

In all the cases requisition for passing of No Confidence Motion shall be required to contain and specify the reasons and ground on the basis of which the motion is proposed to be moved. The reasons and grounds should not be vague, nonspecific and it should not be based on the personal vendetta. The requisition shall be required to be supported by the materials supporting the grounds for the motion. The Council, before passing any final resolution and/or taking final decision, shall be required to assign reasons for its decision.

If in the first meeting, the Bar Council of India finds a prima-facie case in favour of the motion, it shall hold an enquiry into the genuineness and bonifides of the; The enquiry will be conducted by a former Hon'ble Judge either of Supreme Court of India or of High Court. An opportunity of hearing shall be given

by the Hon'ble Inquiring Judge to the Office Bearer or Member against whom the No Confidence Motion is proposed.

The Report of the one man Enquiry Committee shall be placed before the General House of the Council and the Council will take the necessary resolutions after considering the report.

The No Confidence Motion, once failed, cannot be brought against the same Office Bearer/the Member, Bar Council of India for next 12 months.

This Rule shall apply to the Bar Council of India and to all the State Bar Councils. However, for bringing No-Confidence Motion against its Chairman or Vice-Chairman, any State Bar Council can frame its own Rule with the prior approval of Bar Council of India. However, all the State Bar Councils would be required to follow the main principle laid down in these Rules.

All the previous Resolutions of the Bar Council of India with regard to the "No Confidence Motion" against its Office Bearers or of any State Bar Council against the Member, Bar Council of India stand repealed and/or modified accordingly.

NALIN RAJ CHATURVEDI, Asstt. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./197/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.21 20:43:20 +05'30'